

# जिला प्रभारी सचिव 2 8 एवं 2 9 मई को प्रभार वाले जिले का भ्रमण करेंगे

## मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभी जिला प्रभारियों को 31 मई तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया

जयपुर, 27 मई (का.सं.)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निदेशानुसार सभी जिलों के प्रभारी सचिव 28 एवं 29 मईको अपने प्रभार वाले जिले का दौरा करेंगे। इस दौरान विभिन्न कार्यों का निरीक्षण एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा करेंगे। इसके बाद 31 मई को जयपुर में आयोजित होने वाली वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग के संयुक्त शासन सचिव की ओर से जारी ‘आज्ञा’ के मुताबिक प्रभारी सचिव जिले में पेयजल एवं बिजली आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा कर इसके अन्तर्गत जिला प्रशासन के अधिकारियों जिला कलेक्टर, अति. जिला कलेक्टर, उप खण्ड अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं विभाग के फील्ड स्तर के अधिकारियों की सक्रियता का आंकलन करेंगे।

प्रभारी सचिवों को हीट वेव एवं मौसमी बीमारियों से सम्बन्धित स्थिति की समीक्षा कर इससे सम्बन्धित चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा

- जिला प्रभारी दो दिन अपने प्रचार वाले जिलों में रूकेंगे तथा विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा करेंगे।**

जिला प्रशासन एवं फील्ड स्तर के अधिकारियों की इस सम्बंध में सक्रियता का आंकलन कर आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, गौशाला एवं अन्य पशु-पक्षियों के लिये पेयजल, दवाईयों आदि की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करवाने के लिए निर्देशित किया गया है।

प्रभारी सचिव इस दौरान सभी राजकीय विभागों के ई-फाइल डिस्पोजल समय एवं अधिकारियों-कार्मिकों का कार्यक्षमता एवं समय पालन की समीक्षा भी करेंगे। लम्बित भू-हस्तान्तरण, भू-रूपान्तरण एवं भू-

आवंटन की स्थिति तथा लम्बित औद्योगिक भू आवंटन प्रस्तावों की जांच भी करेंगे।

साथ ही, जिला प्रशासन एवं अन्य विभाग के अधिकारियों द्वारा भ्रमण, रात्रि विश्राम एवं चौपाल आदि आयोजित करने की समीक्षा करेंगे। प्रभारी सचिव अवैध खनन, ड्रग्स एवं महिला अपराध की स्थिति तथा खाद्य पदार्थों में मिलावट एवं बाहर पार उत्पादों की स्थिति की भी समीक्षा करेंगे और उसकी रिपोर्ट राज्य सरकार को

### तृणमूल के...

( प्रथम पृष्ठ का शेष )

करने वाले हैं। उन्होंने कहा, इस मुद्दे को और अधिक तूल नहीं दे, हमारी इस मामले में दखल देने की इच्छा नहीं है।”

कोर्ट की इच्छा को वापस लेने के बाद याचिका को खारिज करते हुए कहा कि “याचिकाकर्ता इस बात के लिए स्वतंत्र हैं कि वह नोटिस को चुनौती दे और उन पर अपना जवाबी हलफनामा पेश करें जिन कानून के प्रावधानानुसार विचार किया जाएगा।”

न्यायाधीश ने कहा कि “आपका चुनावी प्रतिद्वंद्वी आपका दुश्मन नहीं है।” तृणमूल कांग्रेस की ओर से इस केस की पैरवी करने के लिए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और उनके सहयोगी अमित आनन्द तिवारी भी उपस्थित थे।

# भारत पाक सीमा पर हीट स्ट्रोक से जवान की मौत

जैसलमेर, 27 मई (नि.सं.)। भारत-पाक सरहद पर तैनात बॉर्डर सिक्वोरिटी फोर्स (बी.एस.एफ.) के एक जवान की हीट स्ट्रोक के कारण मौत हो गई। इन दिनों बॉर्डर पर तापमान 50 डिग्री के पार हो गया है।

बी.एस.एफ. सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार बी.एस.एफ. की 173वीं बटालियन में तैनात कांस्टेबल अजय कुमार पश्चिम बंगाल के जलपाइगुड़ी जिले के सारू गांव का निवासी था। रविवार को वह सीमा चौकी भानु पर तैनात था। वहां भीषण गर्मी की वजह से उसकी तबियत खराब हो गई। उपचार के दौरान जवान ने दम तोड़ दिया। सोमवार सुबह रामगढ़ अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम कर शव बी.एस.एफ. के अधिकारियों को सुपुर्द किया गया। शव को रामगढ़ से सड़क मार्ग द्वारा जोधपुर ले जाया गया है और जोधपुर से हवाई जहाज से उसके पैतृक

- बॉर्डर सिक्वोरिटी फोर्स की 173वीं बटालियन का यह कांस्टेबल अजय कुमार प. बंगाल का रहने वाला था और भानु चौकी पर तैनात था, सरहद पर तापमान 50 डिग्री से भी अधिक है।**

गांव ले जाया जाएगा।

शाहगढ़ पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। रामगढ़ अस्पताल परिसर में शहीद जवान को गाई ऑफ ऑनर दिया गया। बाद में 173वीं वाहिनी सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों ने जवान के शव पर पुष्प चक्र अर्पित कर उसे श्रद्धांजलि दी थी।

### 31 मई को ...

( प्रथम पृष्ठ का शेष )
केंगों। ज्ञातव्य है कि रैवन्ना के खिलाफ अनेक महिलाओं द्वारा यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने के बाद उनके विरुद्ध केस दर्ज कर दिया गया था इसके चलते वे 26 अप्रैल को जर्मनी भाग गए थे। स्पष्ट है कि इस मामले में कर्नाटक में तथा अन्यत्र राजनीति दबाव बनाया जा रहा था। कर्नाटक सरकार और कांग्रेस पार्टी केद सरकार और भाजपा पर आरोप लगा रही है तथा रैवन्ना को एक यौन शिकारी के रूप में चित्रित कर रही है पार्टी का आरोप है कि केन्द्र सरकार में उच्च पदों पर बैठे लोग रैवन्ना को बचा रहे हैं।

इस मुद्दे के कारण भाजपा व प्रधानमंत्री को छत्रि पर भी असर पड़ा है। यही नहीं है कि भाजपा अपने गठबंधन के सहयोगी दलों पर रैवन्ना को वापस देश में बुलाने पर दबाव बना रही है और आम चुनावों के बीच की अवधि में पार्टी को नुकसान पहुंचाने के बजाए यहां आकर उन पर लगे आरोपों का सामना करें।

परंतु, सात चरणों में चल रहे आम चुनावों के अंतिम चरण से ठीक एक दिन पूर्व अब रैवन्ना ने घोषणा की है कि उनका इरादा 31 मई को विशेष जांच दल के समक्ष स्वयं को समर्पण करने का है। इस तथ्य को महैनजर रखते हुए भाजपा को मतदान पर इसके प्रभाव को ध्यान में रखा होगा और यह भी कि देश का मीडिया भी इस घटना की कहानी को प्रसारित करने के लिए विवश होगा और जब भी वह भारत में जांच का सामना करने देश की धरती पर उतरेंगे, डिजिटल मीडिया इस घटना को जोरदार तरीके से अपनी खबरों में पेश करेगा।

### इण्डिया ...

( प्रथम पृष्ठ का शेष )
जगन मोहन रेड्डी की पार्टी शामिल है।

त्रिशंकु संसद बनने की दश में राजनैतिक समीकरणों का पुनर्गठन होगा, नए गठबंधन बनेंगे और कुछ टूट भी सकते है इन हालात में इंडिया गठबंधन पूरी तरह से सजग रहना चाहता है।

# वकीलों के काला कोट पहनने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका

## याचिका में मांग की गई है कि, गर्मी में काले कोट के कारण वकीलों की सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता है

नई दिल्ली, 27 मई। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है, जिसमें गर्मियों के दौरान वकीलों के ड्रेस कोड में राहत देने की अपील की गई है। इसके तहत मांग गई है कि वकीलों को गर्मियों के दिनों काला कोट न पहनने की छूट दी जाए। याचिका में अदालत से मांग की गई है कि, एडवोकेट ऐक्ट, 1961 के नियमों में संशोधन किया जाए इससे वकीलों को गर्मी के दिनों में काला कोट पहनने से राहत मिल सकेगी।

याचिका में कहा गया है कि, अदालत सभी राज्यों के बार काउंसिल को इस संबंध में आदेश दे। इसके तहत उन महीनों की सूची तैयार की जाए, जब काला कोट पहनना गर्मी के चलते मुश्किल भरा हो सकता है। अर्जी में कहा गया है कि गर्मी के दिनों में भी काला कोट पहनने से

होने वाले नुकसान के अध्ययन के लिए एक कमेटी का भी गठन किया जाए, जिसमें मेडिकल एक्सपर्ट्स हों। याची ने कहा कि इस बात की स्टडी तो होनी ही चाहिए कि कैसे गर्मी के दिनों में काला कोट पहनने से सेहत, कार्य क्षमता पर विपरीत असर पड़ सकता है।

एडवोकेट सैलेंद्र मणि त्रिपाठी ने बेंच से अपील की है कि परंपरागत ड्रेस कोड के नियमों में छूट दी जाए। इसकी वजह यह है कि, देश के मैदानी इलाकों में गर्मी के दिनों में तापमान बहुत ऊपर चला जाता है। ऐसा लगातार कई महीनों तक होता है और उस स्थिति में काला कोट पहनना मुश्किल भरा होता है। याची ने कहा कि काला कोट पहनने की परंपरा ब्रिटिश दौर से जुड़ी हुई है, लेकिन यह हमारे लिए सही नहीं है। याची ने कहा कि ब्रिटेन के मौसम की परिस्थिति अलग

थी और हमारे यहां माहौल दूसरा होता है। इसलिए गर्मी के दिनों में ऐसी ड्रेस पहनना ठीक नहीं है।

याची ने कहा कि काला रंग गर्मी को आकर्षित करता है। इसकी वजह से गर्मी से वकीलों को तपना पड़ता है और उससे उनकी कार्यक्षमता पर भी असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि सभी को अधिकार है कि वह सुरक्षित माहौल में काम कर सके। वकीलों को मोटे काले कोटों का पहनना मुश्किल भरा होता है। इससे उनके लिए कामकाज की स्थिति असुरक्षित और मुश्किल भरी होती है। यह असुविधाजनक है। इससे सुरक्षित वर्कप्लेस का अधिकार भी प्रभावित होता है। उन्होंने कहा कि लोग पहले ही किसी बीमारी का शिकार हैं, उनके लिए तो यह और मुश्किल भरा हो सकता है।

# आशंकित व अचंभित क्यों हैं हाईकोर्ट के वकील, जॉर्ज ...

( प्रथम पृष्ठ का शेष )
तकनीकी विभाग’ की ओर से पैरवी कर रहे हैं उल्लेखनीय है कि अनूप जॉर्ज पूर्व में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी (ए.आई.सी.सी.) के सचिव भी रह चुके हैं। वे मध्यप्रदेश में कांग्रेस की दिग्विजय सरकार में महाधिवक्ता रह चुके हैं। यही नहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के राज्यसभा में चयन के खिलाफ दायर याचिका में वे पैरवी कर चुके हैं, तथा साथ ही कांग्रेस संसद गोविंद सिंह के पक्ष में भी पैरवी के लिये अदालत में पेश हुए हैं।

इन तथ्यों से यह तो स्पष्ट होता है कि अनूप जॉर्ज चौधरी पूर्व में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के समीप रहे हैं, पर क्या यह तथ्य उनकी वकालत के प्रति सत्यनिष्ठा पर अंकुश लगा सकता है? अगर राज सरकार के फैसलों को देखा जाये तो नहीं।

भारतीय न्याय प्रणाली और सुप्रीम कोर्ट का आदर्श वाक्य है, “यतो

धर्मस्ततो जयः”, जिसका अर्थ है सत्य और धर्म की ही जीत हो। इसीलिये राज्य सरकारों में महाधिवक्ता व समक्ष सरकारी वकीलों की ईमानदारी ही उनकी सबसे बड़ी योग्यता मानी जाती है। वे अदालत के समक्ष वैसे तो सरकार की तरफ से पैरवी करते हैं, परंतु उनसे आशा होती है कि वे न्याय और सत्य की ही पैरवी करें और किसी के साथ अन्याय ना होने दें। सरकार के ‘पब्लिक प्रोसीक्यूटर’ (लोक अभियोजक) भी सरकारी की ओर से कानून की अवहेलना करने वाले के खिलाफ ‘प्रोसीक्यूशन’ (मुकदमा दायर कर पैरवी करते हैं) करते ना कि ‘पर्सोक्यूट’ (आमजन को सताने) का कार्य करते हैं। इन्हें आदर्शों के कारण आमजन का न्याय प्रणाली पर भरोसा रहना है और सरकारी वकीलों की ईमानदारी भी विवादों से परे रहती है।

भूतकाल में ऐसे उदाहरण देखे जा सकते हैं जहां राज्य सरकारों के बदलने

के बाद भी महाधिवक्ता को नहीं बदला गया क्योंकि सरकार उन वकीलों की सत्यनिष्ठा पर सवाल नहीं उठा सकती थीं। उल्लेखनीय है कि दूसरी गहलोत सरकार में वरिष्ठ अधिवक्ता जी.एस. बापना महाधिवक्ता थे जिन्हें वसुंधरा

सरकार ने भी नियमित रखा था। परंतु यहां पर उल्लेखनीय है कि जी.एस. बापना व्यक्तिगत तौर पर किसी भी पार्टी में सम्मिलित नहीं हुए। वैसे ही वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने भी कांग्रेस पार्टी में अपना पद त्याग देने के बाद ही स्वतंत्र रूप से राज्यसभा का चुनाव लड़ा। वे चाहे कांग्रेस से पूर्व में जुड़े रहे हैं, परंतु कांग्रेस छोड़ने के बाद उन्होंने कांग्रेस की राजनैतिक विपक्षी पार्टी भाजपा के लिये ना तो कभी पैरवी की और ना ही कोई पद स्वीकारा। कपिल सिब्बल का नाम विपक्ष की अन्य पार्टी जैसे सपा और आप के साथ जरूर जोड़ा जाता है, परंतु भाजपा के साथ नहीं, जिसका शायद वैचारिक

### केजरीवाल के पी.ए. बिभ्व कुमार की जमानत याचिका खारिज

नई दिल्ली, 27 मई। स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभ्व कुमार की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। उन्होंने तीस हजारी कोर्ट में याचिका दायर की थी लेकिन जज ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया। बिभ्व कुमार पर बीती 13 मई को दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास पर स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट करने का आरोप है। दिल्ली की

- बिभ्व कुमार पर बीती 13 मई को दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास पर स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट करने के मामले में सुनवाई हुई।**

एक अदालत की ओर से बिभ्व की अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था।

कोर्ट के एक आदेश बाद उन्हें 24 मई को चार दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

बिभ्व कुमार, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने 13 मई को सीएम आवास में स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी और मारपीट की है।

# एक जून को इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल नहीं होंगी ममता बनर्जी

## ममता बनर्जी ने लोकसभा चुनाव की व्यस्तता के चलते बैठक में शामिल होने से असमर्थता जताई

कोलकाता, 27 मई। तृणमूल कांग्रेस आगामी 1 जून को विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस की बैठक से दूर रहेगी। ऐसा कहा गया कि मीटिंग वाले दिन ही लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण का मतदान है, जिसको देखते हुए पार्टी के प्रमुख नेता व्यस्त रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने एक जून की दोपहर को इंडिया गठबंधन के घटक दलों के नेताओं की बैठक बुलाई है। टीएमसी के सूत्रों ने कहा कि बैठक वाले दिन पश्चिम बंगाल में 9 सीट पर मतदान होगा, जिनमें कोलकाता की 2 सीट (कोलकाता दक्षिण और कोलकाता उत्तर) शामिल हैं, जो पार्टी के लिए महत्वपूर्ण हैं।

टी.एम.सी. के सूत्रों ने कहा, राज्य में उस दिन जिन अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होना है, उनमें यादवपुर, दमदम, बारासात, बशीराहाट, जयनगर, मथुरापुर और डायमंड हार्बर शामिल

- कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक जून की दोपहर को इंडिया गठबंधन के घटक दलों के नेताओं की बैठक बुलाई है। टी.एम.सी. के सूत्रों ने कहा कि, बैठक वाले दिन बंगाल में 9 सीटों पर मतदान होगा, जिनमें कोलकाता की 2 सीट (कोलकाता दक्षिण और कोलकाता उत्तर) शामिल हैं, जो तृणमूल के लिए महत्वपूर्ण हैं।**

हैं। तृणमूल कांग्रेस चीफ ममता बनर्जी, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी और अन्य शीर्ष नेता उस दिन मतदान करेंगे और इसलिए बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे। सूत्र ने इस बात का उल्लेख किया कि पार्टी अब तक विपक्षी गठबंधन की सभी बैठकों में शामिल हुई है। सूत्र के अनुसार, टीएमसी ने बैठक के आयोजकों को शामिल होने में असमर्थता के बारे में जानकारी दे दी है।

इंडिया गठबंधन की पहली बैठक पिछले साल 23 जून को पटना में हुई थी। इसके बाद 17-18 जुलाई,

2023 को बेंगलुरु में और फिर 31 अगस्त से 1 सितंबर के बीच मुंबई में बैठक हुई। विपक्षी गठबंधन की चौथी बैठक 19 दिसंबर को दिल्ली में हुई। इसके बाद अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के विरोध में दिल्ली में आयोजित ‘लोकतंत्र बचाओ’ रैली में 31 मार्च की विपक्षी नेता शामिल हुए थे। टीएमसी इन सभी बैठकों और जनसभाओं का हिस्सा रही है। दिल्ली में 31 मार्च की रैली में टीएमसी के नेता डेरक ओब्रायन ने घोषणा की थी कि वे इंडिया ब्लॉक का हिस्सा बने रहेंगे।

<sup>[1]</sup> राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा मैसूर अरावली प्रिन्टर्स & राइटर्स भवन, राइटर्स पार्क, अजमेर (राजस्थान) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आ.ए.आई. नं. 6501516, जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर फोन: 23726634, 4103333-34 फैक्स: 0141-2373513, कोटा कार्यालय: पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, उदयपुर कार्यालय: आरड मैन रोड आयड, उदयपुर फोन: 2413092, फैक्स: 0294-2410146, बीकानेर कार्यालय: कुम्भाना हाउस, हनुमान हवा, बीकानेरा फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, जालौर कार्यालय :- जी 1/163, इन्स्टीटयल एरिया, फेस प्रथम, जालोरा फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डोलसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डोलसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908